

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

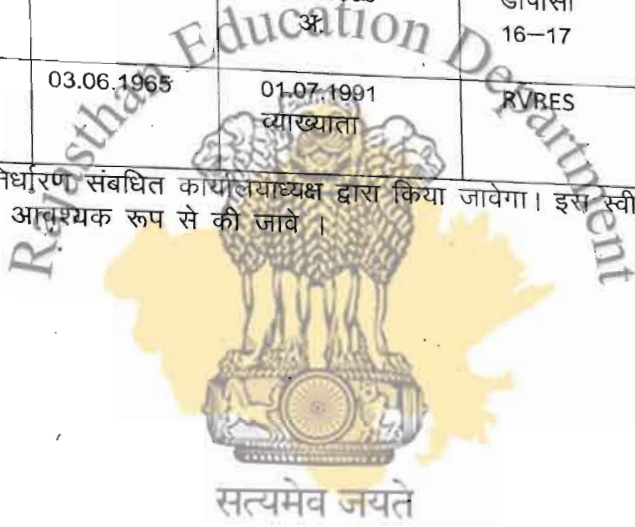


कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एव राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (वाणिज्य/इतिहास) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्म तिथि	प्रथम/नियमित नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	मुखराम, भोमपुरा-हनुमानगढ़	इतिहास	09.08.1960	18.01.1990 अ.	डीपीसी 16-17	III 30 वर्ष	L-13	18.01.2020
2	चन्द्रशेखर गौड़, श्रीनगर-अजमेर	वाणिज्य	03.06.1965	01.07.1991 व्याख्याता	R/R ES	III 30 वर्ष	L-16	01.07.2021

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयीय अध्याक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याताओं की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(प्रमुख अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

- क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एसीपी/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
- 01-संबंधित संयुक्त निदेशक, कार्यालय संभाग.....
 - 02-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0-1/II).....
 - 03-सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
 - 04-संबंधित संस्था प्रधान राउमावि
 - 05-संबंधित कार्मिक
 - 06-निजी/रक्षित पत्रावली

दिनांक :- 22.08.2022

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर